(21)

माननीय न्यायालय सदस्य राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – /2018

निगरानी - 5876/2018/ उज्जैन/भू.रा.

1. **रामप्रसाद पिता महावीरप्रसाद शर्मा**
2. **श्रीमती सरोज पति रामप्रसाद शर्मा कृषक ग्राम पंवासा तह. व जिला उज्जैन, निवासीगण हालमुकाम 9, शास्त्रीनगर, सांई बाबा मंदिर के पास, रतलाम म.प्र. –– निगरानीकर्तागण**

दिनांक 22/9/18 22.9.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. **बंशीलाल पिता दयालदासजी,**
2. **दयालदास पिता हीरालालजी निवासीगण 7, पटेल कॉलोली, उज्जैन म.प्र. ––––––––– अनावेदकगण**

574
22/9/18

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत् अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 586/अपील/2017–18 आदेश दिनांक 8/7/18 से असंतुष्ट व दुःखी होकर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से उक्त निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि, निगरानीकर्तागण जो कि, आपस मे पति–पत्नि है द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, उज्जैन के समक्ष एक आवेदन–पत्र धारा 131 भू राजस्व संहिता का इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि, अपीलांट के भूमि स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 183/1, 182 व 181/3, ग्राम पंवासा तह. व जिला उज्जैन में स्थित है। भूमि सर्वे नं. 183/1 के पूर्व दिशा में सीमा से लगी हुई अनावेदक क्र. 1 की भूमि सर्वे नं. 183/2 है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में लगा हुआ सरकारी कांकड़ नाला

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5876/2018/उज्जैन/भू-रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 586/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक पक्ष की ओर से उसकी भूमि पर आने-जाने का परंपरागत व रुढिगत रासता अनावेदक के द्वारा अवरुद्ध किए जाने के कारण रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय ने अपने प्रश्नाधीन आदेश से आवेदक का आवेदन स्वीकार कर प्रश्नाधीन भूमि से अवरुद्ध रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया है। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 09.12.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 18.09.2018 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक को जारी सूचना-पत्र लेने से इंकार की टीप के साथ प्रस्तुत हुए थे, ऐसी स्थिति में अनावेदक के विरुद्ध इस आशय की विधिक उपधारणा की जावेगी कि आवेदक पर प्रकरण के सूचना-पत्र का विधिवत निर्वाह हो चुका है और क्योंकि अनावेदक विधिक उपधारणा के	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तहत सूचना-पत्र का विधिवत निर्वाह होने व प्रकरण के संबंध में जानकारी हो जाने के उपरांत भी तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में पुन: अनावेदक को नोटिस जारी करने व चस्पा द्वारा तामील कराये जाने की कोई आवश्यकता विधि अनुसार नहीं थी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पुन: नोटिस जारी कर चस्पा द्वारा तामील कराये जाने की कार्यवाही नहीं किए जाने के आधार पर जो आदेश पारित किए गए हैं, वह निरस्ती योग्य हैं। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में बिना अनावेदक को सूचना तामील हुए एकपक्षीय कार्यवाही करवाते हुए व स्थल निरीक्षण की सूचना अनावेदक को न देकर रास्ता खुलवाने का जो अवैधानिक आदेश पारित किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर से विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत तामील की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा राजस्व निरीक्षक, पटवारी व अन्य साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर भी अनावेदक को नहीं दिया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान भी उभयपक्षों को उपस्थित रहने का सूचना-पत्र भी विचारण न्यायालय द्वारा जारी किए बिना आदेश पारित किया गया है, जिसे अपास्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। ऐसी स्थिति में दोनों अपीलीय न्यायालयें के निष्कर्ष समवर्ती हैं, जिनमें हसतक्षेप किए जाने का	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5876/2018/उज्जैन/भू-रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कोई आधार नहीं है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं वैधानिक होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.18 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	